Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding the strict terms and conditions of Banks for providing Agricultural Loan.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय सभापति महोदय, देश में विशेषकर महाराष्ट्र के मेरे बुलढाणा जिले में किसानों की हालत काफी दयनीय स्थिति में है । वर्तमान में बैंकों से जो कृषि संबंधी ऋण दिए जाते हैं, उनमें बैंकों के सख्त नियमों के कारण किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । जैसे बैंकों द्वारा किसानों को जो फसल ऋण की सुविधा दी जाती है, उसके लिए किसानों के सिबिल स्कोर को देखा जा रहा है । यदि किसानों का सिबिल स्कोर कम होगा, तो उनको ऋण के लिए मना कर दिया जाता है । इसके साथ ही, यदि किसी किसान की बकाया रकम के जमानतदार का भी सिबिल स्कोर कम रहा, तो उसे भी कृषि लोन लेने में बहुत-सी दिक्कतें आती हैं । यदि किसान अपना फसल ऋण समय पर न चुका सके, तो उसे और जिसने उसकी जमानत ली है, उस किसान को भी बैंक कृषि लोन नहीं दे रही है ।

पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किसानों की जो कर्ज माफी की गई या जिन किसानों के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट नियम के तहत ऋण चुकाये गये, उनका भी सिबिल स्कोर खराब होता है, जिससे उन्हें कृषि लोन नहीं दिया जा रहा है । इसके साथ ही, जिन किसानों ने ओटीएस नियम के तहत अपना कृषि लोन चुकाया है, उसमें किसानों के लिए तीन से छः महीने का कूलिंग पीरियड रखा गया था ताकि किसान पुनः अपनी आवश्यकतानुसार कृषि ऋण प्राप्त कर सकें । अब यह कूलिंग पीरियड का प्रावधान भी हटा दिया गया है, जिससे किसानों को पुनः कृषि ऋण लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है ।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृषि ऋण योजना से जुड़े हुए ऋण के संबंध में बैंकों के नियमों में छूट दी जाए और उन्हें निरस्त करते हुए एक सरल प्रावधान किया जाए, ताकि गरीब, असहाय किसान एवं जमानतदार किसान को भी फसल ऋण लेने की सुविधा मिल सके और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कोई कठिनाई न हो ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।